भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1553

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

पुनर्गठित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना

1553. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनर्गठित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में आरडीएसएस योजना के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश के सभी क्षेत्रों में इस योजना को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कई प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं तथा यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितनों को मंजूरी दी गई है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए बनाई गई उक्त योजना पर काम शुरू नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या/किस प्रकार कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है तथा केन्द्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपये सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) मिलने का अनुमान है।

(ii) इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम की अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य तक लाना है।

(iii) इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) है।

(iv) इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं:

भाग 'क'- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना का उन्नयन

भाग 'ख' - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम गतिविधियाँ।

(v) आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख) : आरडीएसएस के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 17,209 करोड़ रुपये की लागत से वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें से धुले जिले के लिए 195 करोड़ रुपये की लागत से कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत धुले जिले में 165 जनजातीय घरों के विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत 70.12 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं।

(ग) : आरडीएसएस की निगरानी समिति ने 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (52 वितरण यूटिलिटी) के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ओडिशा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र नहीं हैं। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को हाल ही में शामिल किया गया है तथा एकीकृत डीपीआर तैयार की जा रही है। कर्नाटक और तेलंगाना राज्य को अभी शामिल किया जाना है तथा उन्हें कतिपय अनुपालनों को पूरा करना होगा।

(घ) : स्कीम के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- नोडल एजेंसियों और विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है। चुनौतियों की पहचान करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटी के साथ साप्ताहिक/द्वि-साप्ताहिक आधार पर उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- कार्यों की गति में तेजी लाने तथा कार्य के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए राज्यों के साथ विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है।
- अच्छी प्रगति कर रहे राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों को साझा करने की सुविधा के लिए समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) का आयोजन किया जा रहा है।
- आवश्यक समन्वय और कार्यों की समीक्षा के लिए राज्यों में समीक्षा बैठकें की गई हैं।

(ङ) एवं (च) : आरडीएसएस के तहत कार्यों के लिए प्रस्ताव वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने आकलन और सर्वेक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रस्तावों को नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाता है और सभी पहलुओं में पूर्ण पाए जाने वाले प्रस्तावों को चर्चा और अनुमोदन के लिए आरडीएसएस की निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्यों की निगरानी और समीक्षा नोडल एजेंसी और विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर की जा रही है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक संस्थागत तंत्र यथा संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वितरण सुधार समिति और केंद्रीय स्तर पर यथा सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति को आरडीएसएस दिशानिर्देशों के तहत स्कीम के तहत संस्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।

राज्य विद्युत विभागों का प्रशासन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1553

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार लागत

राज्य/डिस्कॉम	मीटरिंग की स्वीकृत लागत (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये)	पीएमए सहित स्वीकृत एलआर लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृत कुल परिव्यय (करोड़ रु.)	मीटरिंग कार्यों के संस्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रु.)	अवसंरचना (हानि न्यूनीकरण) कार्यों के संस्वीकृत जीबीएस (पीएमए सहित) (करोड़ रुपये)	पीएमए (इन्फ्रा+मीटरिंग) के साथ प्रोत्साहनों सहित संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516	12	416	428
आंध्र प्रदेश	4,128	10,687	14,814	815	6,412	7,227
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226	54	938	992
असम	4,050	3,395	7,444	1,052	3,055	4,107
बिहार	2,021	8,406	10,427	412	5,044	5,456
छत्तीसगढ़	4,105	3,964	8,070	804	2,379	3,183
दिल्ली	13	324	337	2	194	196
गोवा	469	247	716	95	148	243
गुजरात	10,642	6,089	16,731	1,885	3,653	5,538
हरियाणा	0	6,797	6,797	0	4,078	4,078
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,115	466	2,094	2,560
जम्मू और कश्मीर	1,064	4,771	5,835	272	4,294	4,566
झारखंड	858	3,344	4,202	191	2,006	2,197
कर्नाटक	0	34	34	0	21	21
केरल	8,231	3,011	11,243	1,413	1,807	3,220
लद्दाख	0	876	876	0	788	788
मध्य प्रदेश	8,911	9,384	18,295	1,504	5,631	7,134
महाराष्ट्र	15,215	17,209	32,424	2,840	10,326	13,165
मणिपुर	121	615	737	38	554	592
मेघालय	310	1,232	1,542	86	1,109	1,195
मिजोरम	182	319	500	61	287	348
नागालैंड	208	461	668	60	415	474
पुदुचेरी	251	84	335	56	51	107
पंजाब	5,769	3,873	9,642	960	2,324	3,284
राजस्थान	9,715	17,427	27,142	1,686	10,456	12,142
सिक्किम	97	416	514	30	375	405
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803	3,398	5,741	9,139
तेलंगाना	0	120	120	0	72	72
त्रिपुरा	319	598	917	80	538	619
उत्तर प्रदेश	18,956	21,612	40,568	3,501	12,967	16,468
उत्तराखंड	1,106	1,717	2,823	310	1,545	1,855
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893	2,089	4,334	6,423
कुल योग	1,30,671	1,47,635	2,78,306	24,173	94,050	1,18,224

****